संख्या-117जे0एस0/22-3-04-87/1997

प्रेषक,

राकेश कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :12 जुलाई,2004

विषय: कारागारों में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-797/सामा-1(3)-30(2)/2002, दिनांक 14-1-2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की मुलाकात के संबंध में आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-181जे0/22-3-99-87/-97, दिनांक 07-6-1999 के प्रस्तर-2(2) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"विचाराधीन बंदी से उसके मित्र, परिजन तथा रिश्तेदारों से मुलाकात सप्ताह में दो बार करायी जाय। यदि किसी सप्ताह में उसके परिजन उससे मुलाकात न कर सके तो इस सुविधा को लुप्त माना जायेगा। इसके स्थान पर अन्य सप्ताह में किसी दिन मुलाकात की सुविधा नहीं दी जायेगी। केवल विधि व्यवसायी को सप्ताह में एक अतिरिक्त मुलाकात की सुविधा प्रदान की जाय।"

2- मुलाकात व्यवस्था हेतु प्रभावी शासनादेश संख्या-181जे0/22-3-99-87/1997, दिनांक 07-6-1999 में निर्धारित मुलाकात की समय सीमा एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,
ह0/-
राकेश कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव।

क्रमशः----2/-

संख्या-117जे0एस0(1)/22-3-04-87/1997, दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
ह0/-
मोहन लाल
संयुक्त सचिव।

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0सं0- 15000-69 /सामा-1§3§, लखनऊ : दिनांक :17 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

2- अपर महानिदेशक§प्र0/वि0§, सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को 05 प्रतियां रिकार्ड हेतु प्रेषित ।

3- कार्यालय अधीक्षक, अभिलेख अनुभाग, मुख्यालय को 10 प्रतियाँ रिकार्ड फाइल में रखने हेतु प्रेषित।

4- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-117जे.एस./22-3-04-87/1997, दिनांक 12 जुलाई, 2004 के संदर्भ में प्रेषित ।

§ हरि शंकर सिंह §
उप महानिरीक्षक कारागार§मु0§
उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र संख्या— 06 /सामा—1(3)एन. एफ.
2000

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ—कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 03 फरवरी, 04

विषय:— प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कारागारों से बाहर जाने तथा अन्दर आने के समय मुख्य द्वार पर अनिवार्य तलाशी लिये जाने विषयक ।

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के कारागार में प्रवेश [illegible] बाहर आने पर अनिवार्य रूप से तलाशी कराये जाने के सम्बन्ध में [illegible] निर्देश पूर्व में मुख्यालय के पत्र संख्या—20530—667/सामा—1(3), दिनांक [illegible]-7-02 द्वारा निर्गत किये गये हैं । आप अवगत हैं कि जेल नियम संग्रह (प्रथम संशोधन) नियमावली—2002 के प्रस्तर—1216 में भी बन्दियों की तलाशी के सम्बन्ध में व्यवस्था उल्लिखित है ।

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश की कारागारों में उपरोक्त प्रस्तर—1216 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को तलाशी से छूट प्रदान की गयी है उसमें कारागार के बंदीरक्षक सम्मिलित नहीं है । [illegible] कारागार के बंदीरक्षकों को भी कारागार में प्रवेश तथा कारागार से बाहर जाने पर तलाशी लिया जाना आवश्यक है, जबकि कारागार में [illegible] उनकी तलाशी लिये जाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे [illegible] संग्रह (प्रथम संशोधन) नियमावली—2002 के प्रस्तर—1216 का [illegible] नहीं हो पा रहा है ।

अतः भविष्य में बन्दियों की तलाशी के साथ—साथ अपनी कारागार में कार्यरत बंदीरक्षकों की भी तलाशी उन्हें कारागार में प्रवेश/बाहर जाते [illegible] लिया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परिपत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें ।

भवदीय,

(डा० डी०के० शर्मा)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र पृ0सं0 06 /सामा-1(3)एन.एफ.-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा/बरेली/मेरठ/गोरखपुर/इलाहाबाद लखनऊ परिक्षेत्र ।

2- अपर महा निदेशक कारागार (प्रशिक्षण/विकास), सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त परिपत्र की पाँच प्रतियाँ गार्ड फाइल हेतु प्रेषित ।

3- कार्यालय अधीक्षक, अभिलेख अनुभाग मुख्यालय को उपरोक्त परिपत्र की 10 प्रतियाँ रिकार्ड/गार्ड फाइल में रखने हेतु प्रेषित ।

(हरि शंकर सिंह)
उप महानिरीक्षक कारागार(मु0)
उत्तर प्रदेश ।

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1— समस्त जिला मजिस्ट्रेट
उत्तर प्रदेश।
2— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।
3— समस्त उप महानिरीक्षक कारागार,
उत्तर प्रदेश।
4— समस्त उप महानिरीक्षक कारागार,
(...0एन0), उत्तर प्रदेश
5— समस्त वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2007

विषय—प्रदेश की कारागारों में आकस्मिक निरीक्षण / तलाशी के दौरान बरामद होने वाली निषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश जेल मेनुअल प्रस्तर—730, 739ए 739बी, 740बी में कारागार में बन्दियों के लिए अनुमन्य वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या—1071पी/ 22—4—97—48(114)/97, दिनांक 06.10.1997 के अन्तर्गत कारागारों में स्थापित बन्दी कैन्टीन के माध्यम से भी बन्दियों को बहुत सी वस्तुए अनुमन्य की गयी हैं।

2— उत्तर प्रदेश जेल मेनुअल प्रस्तर—1117 में कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं का सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या—916जे0एल0 /22—3—21/99 दिनांक 15.03.1999, शासनादेश संख्या—2813जे0एल0/22—3—2003, दिनांक 22.08.2003, शासनादेश संख्या—983जे0एल0/22—3—2005—38/2005, दिनांक 04.05.2005 परिपत्र संख्या—26/सामा—1(1), दिनांक 07.05.1999, परिपत्र संख्या—.. /सामा—1(3)एन.एफ.—2000, दिनांक 14.10.2004 तथा परिपत्र संख्या—10/सामा—1(3)एन.एफ.—2000, दिनांक 19.05.2005 द्वारा मोबाइल फोन को निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए मोबाइल फोन के कारागार में प्रवेश एवं प्रयोग को निषिद्ध घोषित किया गया है।

3— विगत कुछ माहो में कारागारों पर जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा डाले गये छापे के दौरान तालाशी में बरामद बहुत सी ऐसी वस्तुओं जो कि बन्दियों को नियमानुसार अनुमन्य है, को भी बरामद निषिद्ध सामानों की सूची में सम्मिलित किया गया है। ऐसा किये जाने से अनावश्यक रूप से जनसामान्य में कारागार विभाग की छवि धूमिल हो रही है। अतः जेल मैनुअल प्रस्तर–730, 739ए, 739बी, 740बी के अन्तर्गत बन्दियों को अनुमन्य वस्तुओं तथा शासनादेश संख्या–1071पी/22–4–97–48(114)/97, दिनांक 06.10.1997 के अन्तर्गत कारागारो में स्थापित बन्दी कैन्टीन के माध्यम से बन्दियों को अनुमन्य वस्तुओं का विवरण निम्नवत् स्पष्ट किया जा रहा है–

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल प्रस्तर–739ए में सामान्य वर्ग के दोषसिद्ध कैदियों को हिन्दी और उर्दू में दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्र दिए जाने की व्यवस्था करते हुए प्रत्येक 100 कैदियों पर दो समाचार–पत्र एक हिन्दी में और एक उर्दू में दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

रिश्तेदारों व मित्रों से शिक्षित बन्दियों को धार्मिक पुस्तकें, (2) कापी, पेन्सिल, कलम, स्याही, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुड़, साबुन, दंत मंजन या पेस्ट, दाँत का ब्रश, समाचार–पत्र या पत्रिका जो निषेधित की सूची में नहीं है, संगीत यंत्र (जैसे बांसुरी), कैलेण्डर, बूट पालिस, झोला, भीतरी खेलों के सामान, चीनी, अचार, शहद, घी, ताजा फल बन्दियों द्वारा प्राप्त किया जाना अनुमन्य है। इनकी मात्रा या तो जैल मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप हो या उपयुक्त (reasonable) मात्रा में। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त बन्दियों को बन्दी कैन्टीन के माध्यम से दूध, नमकीन, पनीर, गुड़, चीनी, घी, शहद, अचार, बिस्कुट, ताजे फल, शीतल पेय (नशीले नहीं), नमकीन, बालसमोठ, टाफी, बनी हुयी चाय, ब्रेड, साबुन, टूथब्रश, पाउडर/पेस्ट, बूट पालिश, हेयर आयल, दाढ़ी आयल, कच्छा, बनियान, मोजे व चप्पल आदि कूपन के माध्यम से क्रय किया जाना अनुमन्य है। बन्दी कैन्टीन से सामान क्रय करने हेतु बन्दी अपने सम्बन्धियों से मुलाकात के समय अथवा लिखित आवेदन देकर अपने निजी खाते में जमा धनराशि से एक माह में रूपया 600/= तक के कूपन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त किसी कारागार में निरोधित 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों को बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू व सुंघनी की खरीदारी या उपभोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त बन्दियों से बरामद होने वाली अन्य वस्तुओं को निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाएगा। कारागारों में बन्दियों को बीड़ी व सिगरेट की सुविधा अनुमन्य होने की स्थिति में इन्हें जलाने हेतु व्यवस्था उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल प्रस्तर–372(12) में दी गयी है।

4— उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल प्रस्तर–740डी के अनुसार किशोर सदन बरेली और केन्द्रीय कारागार, नैनी के बाहर स्थिति विद्यालयों में पढ़ने वाले दोषसिद्ध कैदियों को एक शर्ट और एक जोड़ी हाफ पैन्ट अतिरिक्त कपड़े के रूप में, आगरा कारागार में निर्मित एक जोड़ी जूता और भ्रमन और जेब खर्च इत्यादि से सम्बन्धित सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था है।

8– पूर्व में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–40/सामा–1(3), दिनांक 06.07.1999 में दिये गये निर्देशानुसार कारागारों में बन्दियों से मुलाकात से सम्बन्धित वर्तमान नियमों की जानकारी एवं उन निषिद्ध वस्तुओं की सूची तथा बन्दियों को मुलाकात के माध्यम से अनुमन्य वस्तुओं की सूची कारागार के बाहर एक सूचना पट पर अंकित की जाए, ताकि बन्दियों के परिजनों एवं उनसे मुलाकात करने वाले अन्य सामान्य व्यक्तियों को इसे पढ़कर जानकारी हो सके तथा सामान्य नागरिकों का मुलाकात के सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त कर कारागार प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(के0एल0 मीना)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0– /सामा–1(3), तद्दिनांकित

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, गृह गोपन एवं कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है।

(के0एल0 मीना)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या– 22 / सामा–1(3)एन0एफ0 / 2000

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 9 जुलाई, 2007

विषय–प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों, उनके मुलाकातियों की मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से तलाशी कराये जाने के संबंध में।

आप अवगत है कि प्रदेश की कारागारो में निरूद्ध बंदियों द्वारा कारागार में मोबाइल फोन / सेल फोन के प्रयोग एवं प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने, निषिद्व वस्तुओं के प्रवेश को रोकने तथा बंदियो की अनिवार्य रूप से तलाशी कराये जाने के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–14 / सामा–1(3)एन0एफ0–2000, दिनांक 19.05.2005, परिपत्र संख्या–02 / सामा–1(3)एन0एफ0–2000, दिनांक 06.02.2006 एवं परिपत्र संख्या–22 / सामा–1(3) एन0एफ0–2000, दिनांक 12.07.2006 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु कारागारों में निरूद्ध बंदियों एवं उनके मुलाकातियों के पास से तलाशी में विभिन्न प्रकार की निषिद्व वस्तुएं प्राप्त हो रही है। इससे स्पष्ट है कि कारागारों में निरूद्ध बंदियों की समुचित तलाशी संबंधी जेल नियम संग्रह (प्रथम संशोधन) नियमावली–2002 के प्रस्तर–1216 का प्रभावी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां कारागार प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है वही बंदियों द्वारा कारागार में निरूद्ध रहते हुए निषिद्व वस्तुओं एवं मोबाइल फोन का उपयोग कर आपराधिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

इस संबंध में शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि बंदियों तथा उनके मुलाकातियों की जेल गेट पर आते–जाते समय सघन तलाशी सुनिश्चित की जाय तथा यदि उनके पास कोई निषिद्व वस्तु तलाशी में प्राप्त होती है तो उसका अंकन संबंधित रजिस्टर में करते हुए मुख्यालय को उसकी सूचना नियमित रूप से प्रतिदिन भेजी जाय।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या–06 / सामा–1(3)एन0एफ0–2000 दिनांक 03.02.2004 द्वारा बंदियो की तलाशी के अतिरिक्त बंदीरक्षको के भी कारागार में प्रवेश के समय तथा बाहर जाते समय तलाशी कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु इन आदेशों का अनुपालन भी कारागारों द्वारा नही किया जा रहा है।

अतः निर्देश है कि बंदियो तथा उनके मुलाकातियों की मुख्य द्वार पर तलाशी कराने के साथ–साथ कारागार में प्रवेश करने वाले बंदीरक्षकों की भी तलाशी लिया जाना सुनिश्चित करें तथा तलाशी में प्राप्त निषिद्व वस्तु का रिकार्ड संबंधित रजिस्टर में तैयार करके उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि कारागार के भीतर बंदियो द्वारा निषिद्व वस्तुओं के प्रवेश एवं प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसे गम्भीरता से लिया जायगा और संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायगी।

के0एल0 मीणा
महानिदेशक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 परिपत्र संख्या– 22 /सामा–1(3)एन0एफ0/2000 तद्दिनांक

1 प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2 प्रतिलिपि समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा/बरेली/मेरठ/गोरखपुर/इलाहाबाद तथा लखनऊ परिक्षेत्र को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

3 प्रतिलिपि उप निदेशक, सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को उपरोक्त परिपत्र की पांच प्रतियां गार्ड फाइल में रखे जाने हेतु प्रेषित।

4 प्रतिलिपि कार्यालय अधीक्षक, अभिलेख अनुभाग, मुख्यालय को उपरोक्त परिपत्र की दस प्रतियां गार्ड फाइल में रखे जाने हेतु प्रेषित।

9/7/07

(के0एल0 मीना)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या- 16 /सामा-1(3)एन. एफ.-2000

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 2005

विषय:- जेलों में निरुद्ध बंदियों द्वारा सेल फोन का अवैधानिक प्रयोग किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों द्वारा सेल फोन के कारागार में प्रयोग/प्रवेश पर शासनादेश संख्या-916/22-3-21/99, दिनांक 16.03.99, शासनादेश संख्या-2813जे.एल./22-3-2003, दिनांक 22.08.2003 तथा परिपत्र संख्या-21/सामा-1(3)एन. एफ.-2000, दिनांक 14.10.2004 द्वारा प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के निर्देश निर्गत किये गये है, परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है।

शासन द्वारा इस संबंध में शासनादेश संख्या-993जे.एल./22-3-2005-38/2005, दिनांक [illegible].05.2005 द्वारा पुनः निर्देश दिये गये है कि प्रदेश की कारागारों में सेल फोन/मोबाइल फोन के अवैधानिक प्रयोग एवं कारागार में इसके प्रवेश पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाये। इन आदेशों के उल्लंघन की दशा में संबंधित कारागार के अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(महावीर यादव)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय, महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ ।

पृ0सं0- 16(सामा-1)(3)-एन. एफ.-2000,   तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर/बरेली/आगरा एवं मेरठ।

2- अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण/विकास), सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को उक्त आदेश की पांच-पांच प्रतियां अभिलेखों में रखने हेतु ।

3- कार्यालय अधीक्षक, अभिलेख अनुभाग, मुख्यालय को उक्त आदेश की दस प्रतियां अभिलेखों में रखने हेतु ।

(हरि शंकर सिंह)
उप महानिरीक्षक कारागार(मु0),
उत्तर प्रदेश ।

को भी साथ रखें तथा मुलाकात इस प्रकार से कराई जाये कि सभी बातचीत इस अधिकारी को भी स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े ।

§4§ पोटा के अन्तर्गत निरूद्ध बंदियों को अन्य बन्दियों से पृथक रखा जाये ।

§5§ जेल मैनुअल के अध्याय-18 के प्रस्तर-432 के अन्तर्गत बंदियो को निजी स्रोतों से भोजन, बिस्तर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु यह सुविधायें पोटा के अन्तर्गत निरूद्ध बंदियो को उपलब्ध न करायी जाये ।

§6§ पोटा के अन्तर्गत निरूद्ध बंदियो से मुलाकात के दिन एवं समय वही रहेंगे जो कारागार में निरूद्ध अन्य बंदियो के लिये निर्धारित हों ।

2- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,
ह0/
§ प्रीतम सिंह §
प्रमुख सचिव ।

संख्या-2119जे0एल0§1§/22-3-दिनांकित

§1§- प्रतिलिपि महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-29274/सामा-1§3§-30§2§टी0सी0, दिनांक 3-10-02 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त परिमण्डलीय उप महानिरीक्षकों/समस्त कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षकों/अधीक्षकों को निर्देशित कर दें तथा इस संबध में कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायें ।

§2§- प्रतिलिपि गार्ड बुक हेतु ।

आज्ञा से,

§ हीरामणि सिंह यादव §
विशेष सचिव

कार्यालय, महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उ0प्र0 ।

राजाज्ञा पृष्ठांकन सं0- 8 /सामा-1§3§30§2§/02 दिनांकित 24-1-03

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष कारागार विभाग,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त की प्राप्ति को स्वीकार करने का कष्ट करें ।

....3/-

संख्या-2119जे०एल०/22-3-190/2002

प्रेषक,

प्रीतम सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10.7.03

विषयः- कारागारों में "पोटा" के अन्तर्गत निरूद्ध बंदियो से मुलाकात की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में टाडा के अन्तर्गत निरूद्ध बंदियो की मुलाकात से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-50जे0/22-3-100{1}/93, दिनांक 21जनवरी,1993 को अतिक्रमित करते हुए कारागारों में पोटा के अन्तर्गत निरूद्ध बंदियो को उनके परिवारजनों से मुलाकात कराने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

{1} पोटा के अन्तर्गत किसी बंदी की निरूद्धि के समय ही उससे उन निकट सम्बन्धियों के नाम प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे वह निरूद्धि अवधि में मिलना चाहेगा । इससे इस सम्भावना को रोकने में सहायता मिलेगी कि बाद में कोई आतंकवादी तत्व निरूद्ध बंदी का रिश्तेदार बनकर उससे न मिल सके । रिश्तेदार में केवल माता-पिता, भाई बहन व पुत्र-पुत्री से ही मिलने की अनुमति दिया जाना उचित होगा ।

रिश्तेदारों के नाम पते प्राप्त होते ही प्राथमिकता पर स्थानीय पुलिस से उनकी पुष्टि करा ली जाये तथा उनकी पुष्टि एवं छाप अंगूठा पूर्व निर्धारित प्रपत्र प्राप्तकजेल को उपलब्ध करा दिये जायें ।

{2} निरूद्धि के समयमुलाकात के अनुरोध प्राप्त होने पर मुलाकाती पात्र श्रेणी में पाये जाने पर उसकी फोटो एवं आवश्यकतानुसार छाप अंगूठा के निशान के मिलान के पश्चात ही अनुमति दी जाये ।

{3} मुलाकात के समय कारागार अधीक्षक/कारापाल अनिवार्य रूप से उपस्थितरहें तथा यथासमय निरूद्ध बंदी की भाषा जानने वाले एक अधिकारी

2- उप महानिरीक्षक कारागार आगरा/बरेली/मेरठ/गोरखपुर/ इलाहाबाद/लखनऊ परिक्षेत्र ।

3- अपर महानिदेशक (प्र0/वि0) सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त आदेश की 5 प्रतियाँ अभिलेख अनुभाग हेतु प्रेषित ।

4- कार्यालय अधीक्षक, अभिलेख अनुभाग मुख्यालय को 10 प्रतियों में अभिलेख के रूप में रखे जाने हेतु प्रेषित ।

(हरि शंकर सिंह)
उप महानिरीक्षक कारागार (मु0)
उत्तर प्रदेश ।

राजीव 25.7.03

परिपत्र संख्या : 31 /सामा-१(3)

प्रेषक,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त, 2002

विषय :- कारागार में बन्दियों की मुलाकात के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर गृह (कारागार) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 181 जे०/22-3-99-98-97 दिनांक 07-06-1999 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा बन्दियों के परिजनों से उनकी मुलाकात के सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित किये गये है।

कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की उनके परिजनों के साथ मुलाकात मानवाधिकार से जुड़ा एक बिन्दु है और कारागार प्रशासन का यह दायित्व है कि मुलाकात की जो व्यवस्था निर्धारित की गयी उसके अन्तर्गत बिना किसी अड़चन के बन्दियों के परिजन उनसे नियमानुसार मुलाकात कर सकें। विभिन्न कारागारों में भ्रमण के समय तथा कई अन्य श्रोतों से प्राप्त सन्दर्भों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि मुलाकात व्यवस्था में कई कमियां है जिसके फलस्वरूप न केवल बन्दियों के परिजनों को अनावश्यक कठिनाइयां उठानी पड़ती है अपितु इस प्रकार की शिकायतें भी मिलती हैं कि मुलाकात के लिये धनराशि की अपेक्षा की गयी है। इससे न केवल कारागार प्रशासन की छवि धूमिल होती है अपितु बन्दियों के मानवाधिकार हनन की गम्भीर समस्या भी उत्पन्न होती है।

मुलाकात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्न निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये :-

(1) कारागार के बाहर एक बोर्ड अवश्य लगाया जाये जिसमें मुलाकात का समय निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लेख हो ताकि आम जनता को मुलाकात के नियमों की जानकारी हो सके।

(2) सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि कारागार के बाहर मुलाकातियों के बैठने आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है। मुलाकात घरों का निर्माण केवल कुछ ही कारागारों में हो सका है, इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर अलग से विचार कर व्यवस्था करायी जा रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। अतः कारागार अधीक्षक जिलाधिकारी, माननीय सांसद/विधायक, नगर महापालिका/नगर पालिका तथा जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर कारागार के बाहर उपयुक्त स्थल पर कम से कम एक टीन शेड की व्यवस्था कराने का प्रयास करें जिसके आस-पास पेयजल के लिये एक हैन्ड पम्प तथा कम से कम एक महिला शौचालय व एक पुरुष मूत्रालय की व्यवस्था हो। इस कार्य को कराने के लिये कारागार अधीक्षक स्तर पर विशेष प्रयास की आवश्यकता होगी और जिन कारागारों में इस प्रकार

यह व्यवस्था अगले तीन माह में पूर्ण कर ली जाती है तथा के अधीक्षक को एक विशेष प्रविष्टि/प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जेल मैनुअल में दिये गये प्राविधान के अनुसार योग्य पिटीशन राइटर उपलब्ध हो और वह मुलाकात के लिये पर्ची निर्धारित दरों पर ही तैयार करें। इस निमित्त कारागार अधीक्षक स्वयं समय-समय पर मुलाकातियों से वास्तविक स्थिति ज्ञात करें और यदि किसी पिटीशन राइटर द्वारा अनावश्यक धनराशि चार्ज की जा रही है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह भी देखा गया है कि मुलाकात के लिये प्रार्थना-पत्र का-प्रारूप मानकीकृत नहीं है तथा उसे ठीक ढंग से भरा भी नहीं जा रहा है। इस परिपत्र के साथ रूप-पत्र संलग्न किया जा रहा है जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि मुलाकात के प्रार्थना-पत्र में सभी बिन्दु भरे हों।

(4) यदि कोई मुलाकाती इस प्रारूप पर अपने हाथ से लिख कर प्रार्थना-पत्र देता है तो उसे स्वीकार किया जाये और पिटीशन राइटर द्वारा लिखे जाने की बाध्यता न रखी जाये। इस निमित्त प्रत्येक कारागार के बाहर बड़े पिटीशन बाक्स स्थापित किये जायें जिसमें पिटीशन हेतु प्रार्थना-पत्र डाले जा सकें और उन्हें प्रत्येक मुलाकात दिवस को प्रातः 9-00 एवं 11-00 बजे खोलते हुये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(5) कई अवसरों पर यह देखा गया है कि मुलाकात इस आधार पर मना कर दी जाती है कि सम्बन्धित बन्दी को उस दिन अदालत में जाना है, लेकिन यह सूचना उसके परिजनों को अत्यन्त विलम्ब से दी जाती है जिससे उन्हें अनावश्यक इन्तजार करना पड़ता है। अतः जैसे ही प्रातः 9-00 एवं 11-00 बजे मुलाकात की पर्चियां पेटबुक में दर्ज कर सम्बन्धित उप कारापाल को प्राप्त होती है वह अदालत जाने वालों को अलग कर लेंगे जिनसे सम्बन्धित बंदी उस दिन अदालत जा रहे हैं और क्रमशः 9-30 एवं 11-30 बजे तक यह सूचना कारागार के बाहर उपस्थित परिजनों को बता दी जायेगी ताकि वे अनावश्यक इन्तजार न करें। इसे सुनिश्चित करने के लिये हवालात प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अदालत जाने वाले बन्दियों की सूची प्रातः 9-00 बजे के पूर्व सम्बन्धित उप कारापाल (प्रभारी मुलाकात) को उपलब्ध करा दें।

(6) मुलाकात निर्धारित स्थल पर ही करायी जायेगी और यदि किसी बन्दी की मुलाकात के सन्दर्भ में जिला प्रशासन द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश दिये गये हों तो उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। मुलाकातियों की तलाशी हेतु व्यापक निर्देश पहले दिये जा चुके हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये और इस निमित्त कारागारों में उपलब्ध डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर तथा हैन्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का नियमित उपयोग भी सुनिश्चित हो। मुलाकात के समय सम्बन्धित प्रभारी मुलाकात उपस्थित रहें तथा सुनिश्चित करायें कि किसी भी प्रकार की निषिद्ध वस्तु का आदान-प्रदान न हो।

यह भी देखने में आया है कि कई अवसरों पर मुलाकात ड्यू न होने पर भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के लैटर पैड के आधार पर मुलाकात करायी जा रही है जो नियमों के सर्वथा विपरीत है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षक माननीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में शासनादेश एवं नियमों को लाने का कष्ट करें ताकि जेल प्रशासन के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि मुलाकात ड्यू न होने पर भी मुलाकात करायी जाती है तो यह वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक का उत्तरदायित्व होगा।

मुलाकात के लिये प्रार्थना-पत्र

कारागार ____________ आवेदन-पत्र की तारीख ____________

1. बंदी का नाम ____________
   पिता का नाम ____________
   पता ____________

2- मुलाकातियों का विवरण
   (अधिकतम तीन)

क्रम सं०	नाम	पता	बंदी से संबंध	हस्ताक्षर / अंगूठा
1.				
2.				
3.				

3. मुलाकात में दिये जाने वाले सामान का विवरण

(कार्यालय द्वारा भरा जाय)

1. बैरक नं० ____________
2. पिछली मुलाकात की [illegible] ____________
3. मुलाकात [illegible] त / अस्वीकृत
4. मुलाकात अस्वीकृत [illegible] कारण:-

(अ) बार बन्द ☐
(ब) अदालत पर बाहर ☐
(स) मुलाकात प्रतिबंधित ☐
(द) अन्य ____

अधीक्षक/उप अधीक्षक के हस्ताक्षर ____________ Dy Jailor के हस्ताक्षर ____________

यह भी शिकायत प्राप्त होती है कि मुलाकात करने के लिये धनराशि की मांग की जाती है, यह एक गम्भीर दुराचरण है। सर्वप्रथम तो मुलाकात हेतु प्रथम एवं द्वितीय गेट पर तैनात बंदीरक्षक/प्रधान बंदीरक्षकों की ड्यूटी नियमित रूप से बदली जाये ताकि एक ही व्यक्ति के मुलाकात स्थल पर उपस्थित रहने से उत्पन्न होने वाली समस्यायें समाप्त हो सकें। इसके साथ-साथ वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/कारापाल स्वयं मुलाकातों के समय कार्यालय में उपस्थित रहें और औचक निरीक्षण कर मुलाकातियों से जानकारी लें तथा यदि किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत सिद्ध पायी जाती है तो उसे कठोरतम दण्ड दिया जाये। मैं यह पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि किसी कारागार में मुलाकात के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो यह मानते हुये कि ऐसा सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक की जानकारी में हो रहा है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कारागार में मुख्य द्वार के बाहर 'जेल सहायता केन्द्र' स्थापित किये जायेंगे। एक उप कारापाल प्रातः 8-00 बजे से अपरान्ह 2-00 बजे तक सहायता केन्द्र पर उपस्थित रहेगा ताकि मुलाकात के लिये आने वाली आम जनता को मुलाकात की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में सम्यक जानकारी हो सके और विशेष तौर पर ऐसे लोग जो मुलाकात के लिये पहली बार जेल आये हों, उनकी शंकाओं का समुचित समाधान कर सके। यह उप कारापाल यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मुलाकातियों को मुलाकात के समय किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जिन कारागारों में 04 से कम उप कारापाल तैनात हैं अथवा प्रत्येक दिवस औसत 20 से कम मुलाकातें आती हैं वहां पर सहायता केन्द्र पर उप कारापाल के स्थान पर एक योग्य हेड वार्डर की तैनाती की जाये जो उपरोक्तानुसार मुलाकातियों को सहयोग प्रदान करेंगे। यह सहायता केन्द्र तत्काल कार्यान्वित कराये जायें।

मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि बन्दियों की उनके परिजनों से मुलाकात एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आम जनता प्रभावित होती है, अतः इसे पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं तत्परता से सम्पादित कराया जाये। उपरोक्त व्यवस्था के लिये वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(राजीव कपूर)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृष्ठांकन संख्या : 31 /सामा-1(3) दिनांकित

उपरोक्त परिपत्र की प्रति समस्त परिक्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षकों को सूचनार्थ एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रेषित की जा रही है।

(राजीव कपूर)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

परिपत्र संख्या– 35/सामा–1[5]बा.ह.

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2002

विषय:– कारागारों में आने वाले नये बंदियों को श्रम आवंटित न करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–19 में जेल में संक्रामक रोग न होने पाये इसके लिए बंदियों को सख्तापूर्वक संगरोध [क्वेरेंटाइन] में कम से कम 10 दिन तक रखे जाने की व्यवस्था है तथा प्रदेश की लगभग सभी जेलों में नये आने वाले बंदियों को कुछ दिनों तक अलग रखा जाता है जब तक कि उनको स्थायी रूप से किसी बैरक का आवंटन रहने के लिए न कर दिया जाए।

आप सहमत होंगे कि कारागार में आने के बाद किसी भी बंदी की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है तथा वह अत्यधिक दबाव में रहता है। अतः ऐसे बंदियों के साथ अधिक मानवोचित व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है। अनेक मामलों में यह पाया गया है कि विचाराधीन बंदियों के कारागार में प्रवेश के तुरन्त बाद उन्हें कार्यों पर लगा दिया जाता है तथा कारागार व्यवस्था की जानकारी न होने के कारण बंदी को तत्काल इससे असुविधा होती है और उस पर मानसिक दबाव और भी बढ़ जाता है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि कारागार में प्रवेश के 15 दिन तक किसी भी विचाराधीन बंदी से कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। जेल परिसर के मुख्य गेट के बाहर तथा बैरकों में 2/3 स्थानों पर निम्न सूचना पेंट कराई जाय:

- कारागार में प्रवेश के 15 दिन तक की अवधि में किसी भी विचाराधीन बंदी से कारागार में कोई भी कार्य नहीं कराया जाता है।

यह आदेश तात्कालिक रूप से प्रभावी होंगे तथा वरिष्ठ अधीक्षक/–

अधीक्षक इसके ... लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र पृष्ठा० सं० - 35/कामा-।|5|का०क०, तद्दिनांक

प्रति० ... उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा/बरेली/मेरठ/इलाहाबाद/वाराणसी/लखनऊ परिक्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने निरीक्षण के समय उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(राजीव कुमार)
महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र संख्या- 26 /सामा-1§1§

155

प्रेषक,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 7 मई, 1999

विषय:- कारागारों की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश को वर्जित करने हेतु सुस्पष्ट सूचना पट बनाये जाने विषयक।

महोदय,

आप अवगत है कि कारागारों के लिए निषिद्ध वस्तुओं की सूची जेल मैनुअल प्रस्तर-1117 में दी गयी है। निषिद्ध वस्तुओं का प्रवेश रोके जाने, समुचित तलाशी करने और सुरक्षा विषयक कड़े प्रबन्ध किये जाने आदि के संबंध में आपको परिपत्र संख्या-66/सामा-1§1§, दिनांक 29.10.97 द्वारा लिखित आदेश दिये गये थे। पूर्व में भी निषिद्ध वस्तुओं को कारागार के अन्दर न पहुंचने एवं तत्विषयक जेल मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु मुख्यालय के ज्ञापन परिपत्र संख्या-23/-सामा-1§4§-44/78, दिनांक 9.9.1987, ज्ञापन परिपत्र संख्या-15/सामा-1§4§-44/-78, दिनांक 9.9.1992, ज्ञापन परिपत्र संख्या-30/सामा-1§4§-44/78, दिनांक 28.10.1992, परिपत्र संख्या-72/सामा-1§1§-63/88, दिनांक 22.11.1994 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये है।

इस संबंध में जेल मैनुअल प्रस्तर-1117 में निम्न प्रकार अभिलिखित किया गया है :-

1117. निषिद्ध चीजें :- राज्य सरकार ने कारागार अधिनियम, 1894 §1894 का 9§ की धारा-3 के खण्ड-9 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा-59 के खण्ड-3 के अधीन अंकित §वर्णित§ निम्न वस्तुओं को निषिद्ध वस्तु घोषित किया है और जो कोई भी इन नियमों के विरुद्ध ऐसी चीजें कारागार की सीमा में प्रस्तुत करेगा या हटायेगा अथवा प्रस्तुत करने या हटाने का प्रयास इस अधिनियम की धारा-42 के अधीन दण्डित किया जायेगा। सभी जेल अधिकारी ऐसी चीजों का प्रस्तुत किया जाना, हटाया जाना या पूर्ति किया जाना रोकने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।

§1§ किसी प्रकार की तेज और फर्मेन्टेड शराब,
§2§ अफीम, अफीम की तैयारी और नशीली दवाएं,
§3§ गांजा, चिलम, आदि द्वारा धूम्रपान,
§4§ सभी विस्फोटक या ज्वलनशील चीजें या आग बनाने वाले तत्व या विषाक्तता की चीजें,

क्रमशः —2/-

[5] धातु, धन, मुद्रायें, नोट, मूल्यवान प्रतिभूति, ज्वेलरी अन्य प्रकार के गहने और अन्य विवरण की मूल्यवान चीजें,

[6] किताबें, प्रिन्टेड या लिखित तथ्य, पत्रों, तत्वों और लिखित चीजों के साधन,

[7] नीडल, हथियार, रोकन, स्प्रिंग, बम, लैडर, स्टिक्स, किसी भी विवरण की चीजें जो स्प्रिंग, रोप, चेन या कोई चीजें जो निकल भागने में सहायक हों या किसी प्रकार के औजार। परन्तु यह कि जेल के भीतर हथियारों के ले जाने की रोक, मन्त्रियों के रक्षक, राज्य के मन्त्रियों, उपमन्त्रियों, पार्लियामेण्ट के सचिवों के जेल के निरीक्षण के समय लागू नहीं होगा,

[8] कोई अन्य चीजें जो राज्य सरकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से कैदियों के स्वास्थ्य, अनुशासन, कपड़ों, भोजन और प्रयोग के लिए उपबन्धित नहीं है अथवा जेल अधिकारियों का कारागार से सम्पृक्त कैदियों या जेल के अधिकारियों से भिन्न जेल में नियोजित व्यक्तियों के लिए अनुज्ञा नहीं है।

उक्त के संबंध में आपको स्मरण कराना उचित होगा कि शासनादेश संख्या 9163./22-3-21/79, दिनांक 15-3-99 के द्वारा [illegible] पचेन भी निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है।

आपको पत्रद्वारा पुनः निर्देश दिया जाता है कि उक्त से संबंधित पूर्व आदेशों का कड़ाई से पालन और यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि आपकी जेल में किसी भी बंदी के पास कोई अनाधिकृत सामान पहुंचने की गुंजाइश न हो। अवैध सामान रखने वाले बंदियों और उसे पहुंचाने वाले व्यक्तियों के प्रति कठोरतम कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाय। निषिद्ध वस्तुओं की सूची प्रायः जेलों में मुख्य द्वार के पास मुलाकात नियमों की पट्टिका पर अंकित की जाती है, जिस पर बहुधा लोगों का ध्यान कम जाता है और इससे भी निषिद्ध वस्तुओं की जेल में पहुंचने की सम्भावना रहती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जेल मैनुअल प्रस्तर-1117 में उल्लिखित निषिद्ध वस्तुओं की पूर्ण सूची मोटे-मोटे अक्षरों में जेल के मुख्य द्वार के पास मुख्य प्राचीर पर स्पष्ट रूप से इस प्रकार अंकित कराना सुनिश्चित करें, कि जन सामान्य की दूर से ही निगाह पड़ जाय और उसे दूर से ही स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके और मुलाकातियों के अतिरिक्त सर्वसाधारण जन भी इसकी आसानी व सुविधा /जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके लिए अलग से लकड़ी व लोहे आदि का बोर्ड बनाकर धन व्यय न किया जाय, बल्कि उपरोक्तानुसार मुख्य प्राचीर पर समुचित [illegible] में स्वच्छ देवनागरी लिपि में पेंट द्वारा अंकित कराया जाय।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करें और दिये गये आदेशों को कड़ाई से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन व सूचना दो सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें। परिक्षेत्रीय उप, [महानिरीक्षक] कारागार भी देखें और अपनी अधीनस्थ कारागारों में उक्त आदेश का तत्काल कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

([illegible] तेज सिंह)

परिपत्र संख्या 64 /सामा-1,3 अनु-30

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

1-समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार
2-समस्त वरिष्ठ अधीक्षक,केन्द्रीय/मण्डल कारागार
3-समस्त अधीक्षक,जिला कारागार एवं उप कारागार
कारागार विभाग,उत्तर प्रदेश ।

दिनांक:24 X-97

विषय: बन्दियों से मुलाकात के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष तथा विचाराधीन बंदियों को उनके परिवार जनो/मित्र व अन्य संबंधित लोगो से मुलाकात कराये जाने की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराना है कि अभी तक चल रही प्रक्रिया के अनुसार सभी बंदी व मुलाकाती सामान्यतः एक जगह एकत्रित होकर एक ही समय मुलाकात करते है जिससे एक अव्यवस्थित मेला सा लग जाता है तथा बंदियों और मुलाकातियों के बीच अपेक्षित प्राइवेसी भी नही रह पाती ।

इस विषय में समय-समय पर भेजे गये परिपत्र संख्या 1/सामा-1,3, दिनांक 20-2-96 तथा शासन परिपत्र संख्या 13 सामा-1,3, दिनांक 4-3-97 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि मुलाकात को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के हित में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि:-

(1) मुलाकात के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण करने से पूर्व उस दिन तक प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना-पत्र एकत्र हो जाने तक प्रतीक्षा न की जाये वरन प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने एवं उनका परीक्षण करते हुए अधीक्षक के आदेश प्राप्त करने का कार्य समानान्तर चलता रहें ।

(2) मुलाकात के लिए प्रातः 8 बजे से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर 10-10 के ग्रुप में संबंधित बंदियों को एक निश्चित स्थान पर लाकर एक निश्चित समय के लिए मुलाकात करायी जाय और मुलाकात का क्रम चलता रहें ।

(3) प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होकर प्रातः 11 बजे तक चालती रहे और 11 बजे पर समाप्त हो जावे । ——2/-

[illegible] कोई भी मुलाकात सामान्यतः क्रम को तोड़कर न करायी जाये ।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तर प्रदेश ।